

F. No. 1-1/2023NMEO-Oilseedspart1 (E- 150886)
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
(Oilseeds Division)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the 17th September, 2025

Subject: Guidelines for Post-Harvest Value Chain Support under the National Mission on Edible Oils – Oilseeds- reg.

The undersigned is directed to enclose herewith a copy of the Guidelines for Post-Harvest Value Chain Support under the National Mission on Edible Oils – Oilseeds (in both English and Hindi) for kind information and necessary action.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Agriculture & Farmers Welfare.


(Dr. S. K. Dwivedi)
Director (Oilseeds)

Email: dirdskd-crops@gov.in

To,

The Agriculture Production Commissioner/ Principal Secretary (Agriculture)/ Secretary Agriculture, State Govts./UTs, Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Jammu & Kashmir, Ladakh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.

Copy to for information:

1. PPS to Secretary (A&FW)/ PPS to AS (Oilseeds)/ PPS to JS (Oilseeds), DA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi
2. Director, Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad

Guidelines: Post-Harvest Value Chain Support
(Under the National Mission on Edible Oils - Oilseeds)

1. Objective

To enhance the efficiency of oilseed collection, processing and oil extraction across the country by supporting the establishment and upgradation of post-harvest infrastructure. Preference shall be accorded to projects proposed by Value Chain Participants (VCPs), Farmer Producer Organizations (FPOs), Cooperatives and relevant private sector entities. Oil extraction close to farmers growing the oilseed enables the farmer collective to initiate post harvest value addition. This will supply oil to local market as well as institutional buyers. In addition the bye-products will also be a source of income for local collectives.

2. Invitation of Applications

2.1 Nodal Authority

District Oilseed Mission headed by District Mission Director (Member Secretary) under the chairmanship of District Collector/CEO of Zila Parishad shall be responsible for inviting and processing applications for assistance under this component.

2.2 Mode of Application

- DOSM shall invite applications through advertisements in newspapers, the state government's online portal, social media platforms, radio broadcasts and public notice boards to ensure wider reach and accessibility, effectively informing all eligible beneficiaries about the eligibility criteria, application formats and submission timelines.
- Applications must be submitted through the designated online portal or via the prescribed offline format to the concerned District Executive Committee headed by District Oilseed Mission Director (Member Secretary) under the chairmanship of District Collector/CEO of Zila Parishad.

2.3 Eligible Entities

- Government/Private Industries
- Farmer Producer Organizations (FPOs)
- Cooperatives
- Registered Start-ups involved in oilseed processing
- Value Chain Partners (VCPs) under the mission

3. Scrutiny and Selection Process

3.1 Preliminary Scrutiny

- Applications shall be examined for completeness, eligibility and conformity with guidelines.
- Incomplete applications shall be returned for resubmission within a stipulated period.

3.2 Technical Evaluation

- A Technical Screening Committee constituted by the District Executive Committee shall assess proposals based on:
 - Relevance to oilseed value chain
 - Operational and financial viability
 - Proposed capacity and technology
 - Past experience and track record
 - Linkage with producers or local oilseed ecosystem
- Preference may be accorded to proposals involving VCPs or FPOs formed under the 10000 FPOs scheme, FPOs set up under NFSM & MIDH, FPOs associated with oilseeds registered with public agencies engaged in criteria prescribed in 4.2.4 of mission guidelines. This is so that farmer collectives may be enabled directly to enter the value chain.

3.3 Recommendation and Approval

- District Executive committee shall recommend proposals for final approval.
- State Oilseeds Mission (SOSM) headed by State Mission Director (Member Secretary) under the chairmanship of Chief Secretary/Advisor (UT) state shall accord final sanction based on recommendations and fund availability under the State Action Plan.

4. Technical Specifications of Units

4.1 Machinery & Equipment

- Support shall be provided for the purchase and installation of oil extraction units with a capacity of 10 tonnes per day, including associated processing equipment for oilseeds (e.g., dehullers, seed cleaners, expellers, filters).

- For oil extraction units with reduced capacity, subsidy provided will be proportionate.

4.2 Compliance

- All machinery should conform to Bureau of Indian Standards (BIS) or equivalent quality standards.
- The unit must have the capability to process multiple oilseed types wherever feasible.

4.3 Exclusions

- Assistance shall not be extended for the purchase of land or construction of buildings/sheds.
- These costs shall be excluded from the computation of the project cost for subsidy calculation.

5. Subsidy Methodology and Disbursement

5.1 Pattern of Assistance

Component	Scale of Assistance
Machinery & Equipment for oil extraction units and processing of oilseeds	33% of the eligible project cost, subject to a maximum of ₹9,90,000 per unit

5.2 Eligible Cost Components

- Only the cost of machinery and equipment shall be considered eligible for calculating the subsidy.
- Quotations from GST-registered manufacturers/suppliers must be submitted along with the application.

5.3 Disbursement Mechanism

- Subsidy shall be released to the selected beneficiaries through the respective State Action Plan, following installation and physical verification.
- Funds shall be routed through the State directly to the beneficiary's Aadhaar-linked bank account.

Note: Since the government subsidy typically covers only a portion of the total project cost, the balance amount must be arranged by the project proponent through other means, such as:

- i. **Own Capital:** Applicant can use their own funds or savings to cover part or all of the remaining project expenses beyond the subsidy.
- ii. **Bank Loans / Financial Institutions:** Term loans or working capital loans can be obtained from banks or financial institutions. Many banks offer specialized loan products for agro-based industries like oil mills, often at favourable interest rates.
- iii. **State Government Support:** The State Government may coordinate with relevant schemes such as the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) to maximize financial support for beneficiaries. Additional assistance or incentives provided by the state or local authorities can supplement the central subsidy, if any.
- iv. **Other Schemes and Grants:** Funds from other government schemes or grants aimed at rural development, agro-industries, or small-scale enterprises can be leveraged to meet the remaining project cost.

5.4 Verification and Monitoring

- Physical verification of the installed machinery shall be conducted by designated officers of the State/district Government.
- Progress reports and utilization certificates (UCs) must be submitted quarterly to the DOSM.

6. General Conditions

- All beneficiaries shall maintain the asset for a minimum of five years from the date of installation.
- Units shall be open to periodic inspection and monitoring by the Ministry or designated authorities.
- Misuse or misreporting of funds shall invite penalties and recovery proceedings as per prevailing government norms.

**दिशानिर्देश: कटाई-पश्चात मूल्य श्रृंखला समर्थन
(राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन के अंतर्गत)**

1. उद्देश्य:

देश भर में तिलहन संग्रहण, प्रसंस्करण और तेल निष्कर्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए कटाई-पश्चात अवसंरचना की स्थापना और उन्नयन में सहयोग प्रदान किया जाएगा। मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों (वीसीपी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और संबंधित निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तिलहन उत्पादक किसानों के पास ही तेल निष्कर्षण होने से, किसान समूह को फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्धन शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय बाज़ार के साथ-साथ संस्थागत खरीदारों को भी तेल की आपूर्ति होगी। इसके अलावा, उप-उत्पाद स्थानीय समूहों के लिए आय का स्रोत भी बनेंगे।

2. आवेदन आमंत्रण

2.1 नोडल प्राधिकरण

जिला कलेक्टर/जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में जिला मिशन निदेशक (सदस्य सचिव) की अध्यक्षता में जिला तिलहन मिशन (डीओएसएम) इस घटक के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।

2.2 आवेदन का तरीका

- डीओएसएम व्यापक पहुँच और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए समाचार पत्रों, राज्य सरकार के ऑनलाइन पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रेडियो प्रसारण और सार्वजनिक सूचना पट्टों पर विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों को पात्रता मानदंड, आवेदन प्रारूप और जमा करने की समय-सीमा के बारे में प्रभावी ढंग से जानकारी मिल सके।
- आवेदन निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या निर्धारित ऑफलाइन प्रारूप के माध्यम से जिला कलेक्टर/जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में जिला तिलहन मिशन निदेशक (सदस्य सचिव) की अध्यक्षता वाली संबंधित जिला कार्यकारी समिति को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

2.3 पात्र संस्थाएँ

- सरकारी/निजी उद्योग
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

- सहकारी समितियाँ
- तिलहन प्रसंस्करण में शामिल पंजीकृत स्टार्ट-अप
- मिशन के अंतर्गत मूल्य श्रृंखला भागीदार (वीसीपी)

3. जाँच और चयन प्रक्रिया

3.1 प्रारंभिक जाँच

- आवेदनों की पूर्णता, पात्रता और दिशानिर्देशों के अनुरूपता की जाँच की जाएगी।
- अपूर्ण आवेदनों को निर्धारित अवधि के भीतर पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।

3.2 तकनीकी मूल्यांकन

- जिला कार्यकारी समिति द्वारा गठित एक तकनीकी जाँच समिति निम्नलिखित के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी:
 - तिलहन मूल्य श्रृंखला से प्रासंगिकता
 - परिचालन और वित्तीय व्यवहार्यता
 - प्रस्तावित क्षमता और प्रौद्योगिकी
 - पिछला अनुभव और पिछला रिकॉर्ड
 - उत्पादकों या स्थानीय तिलहन पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ाव
- मिशन दिशानिर्देशों के 4.2.4 में निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत, वीसीपी या 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत गठित एफपीओ, एनएफएसएम और एमआईडीएच के अंतर्गत स्थापित एफपीओ, और सार्वजनिक एजेंसियों के साथ पंजीकृत तिलहन से जुड़े एफपीओ से संबंधित प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसान समूहों को मूल्य श्रृंखला में सीधे प्रवेश करने में सक्षम बनाया जा सके।

3.3 अनुशंसा और अनुमोदन

- जिला कार्यकारी समिति अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की अनुशंसा करेगी।
- राज्य के मुख्य सचिव/सलाहकार (केंद्र शासित प्रदेश) की अध्यक्षता में, राज्य तिलहन मिशन (एसओएसएम) के राज्य मिशन निदेशक (सदस्य सचिव) द्वारा राज्य कार्य योजना के अंतर्गत सिफारिशों और निधि उपलब्धता के आधार पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगा।

4. इकाइयों के तकनीकी विनिर्देश

4.1 मशीनरी एवं उपकरण

- तिलहनों के लिए संबंधित प्रसंस्करण उपकरण (जैसे, डीह्लर, सीड क्लीनर, एक्सपेलर, फिल्टर) सहित 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाली तेल निष्कर्षण इकाइयों की खरीद और स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- कम क्षमता वाली तेल निष्कर्षण इकाइयों के लिए, प्रदान की जाने वाली सब्सिडी आनुपातिक होगी।

4.2 अनुपालन

- सभी मशीनरी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) या समकक्ष गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
- इकाई में, जहाँ भी संभव हो, विभिन्न प्रकार के तिलहनों को संसाधित करने की क्षमता होनी चाहिए।

4.3 बहिष्करण

- भूमि की खरीद या भवन/शेड के निर्माण के लिए सहायता नहीं दी जाएगी।
- सब्सिडी की गणना के लिए परियोजना लागत की गणना से इन लागतों को बाहर रखा जाएगा।

5. सब्सिडी पद्धति और संवितरण

5.1 सहायता का स्वरूप

घटक	सहायता का पैमाना
तेल निष्कर्षण इकाइयों और तिलहन प्रसंस्करण के लिए मशीनरी और उपकरण	पात्र परियोजना लागत का 33%, अधिकतम ₹9,90,000 प्रति इकाई के अधीन

5.2 पात्र लागत घटक

- सब्सिडी की गणना के लिए केवल मशीनरी और उपकरणों की लागत को ही पात्र माना जाएगा।
- आवेदन के साथ जीएसटी-पंजीकृत निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन प्रस्तुत करने होंगे।

5.3 संवितरण तंत्र

- चयनित लाभार्थियों को स्थापना और भौतिक सत्यापन के बाद, संबंधित राज्य कार्य योजना के माध्यम से सब्सिडी जारी की जाएगी।
- धनराशि राज्य के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंकड बैंक खाते में भेजी जाएगी।

नोट: चूँकि सरकारी सब्सिडी आमतौर पर कुल परियोजना लागत के केवल एक हिस्से को ही कवर करती है, इसलिए शेष राशि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक को अन्य माध्यमों से करनी होगी, जैसे:

- i. **स्वयं की पूँजी:** आवेदक सब्सिडी के अलावा शेष परियोजना व्यय के आंशिक या पूर्ण भाग को वहन करने के लिए अपने स्वयं के धन या बचत का उपयोग कर सकते हैं।
- ii. **बैंक ऋण/वित्तीय संस्थान:** बैंकों या वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण या कार्यशील पूँजी ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं। कई बैंक अक्सर अनुकूल ब्याज दरों पर, तेल मिलों जैसे कृषि-आधारित उद्योगों के लिए विशेष ऋण उत्पाद प्रदान करते हैं।
- iii. **राज्य सरकार का समर्थन:** राज्य सरकार लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता को अधिकतम करने हेतु कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) जैसी प्रासंगिक योजनाओं के साथ समन्वय कर सकती है। राज्य या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सहायता या प्रोत्साहन, यदि कोई हो, तो केंद्रीय सब्सिडी का पूरक हो सकते हैं।
- iv. **अन्य योजनाएँ और अनुदान:** ग्रामीण विकास, कृषि-उद्योगों या लघु-स्तरीय उद्यमों के लिए लक्षित अन्य सरकारी योजनाओं या अनुदानों से प्राप्त धनराशि का उपयोग परियोजना की शेष लागत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

5.4 सत्यापन एवं निगरानी

- स्थापित मशीनरी का भौतिक सत्यापन राज्य/जिला सरकार के नामित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) तिमाही आधार पर डीओएसएम को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

6. सामान्य शर्तें

- सभी लाभार्थियों को स्थापना की तिथि से कम से कम पाँच वर्षों तक परिसंपत्ति का रखरखाव करना होगा।
- इकाइयाँ मंत्रालय या नामित प्राधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण और निगरानी के लिए खुली रहेंगी।
- निधियों का दुरुपयोग या गलत रिपोर्टिंग करने पर प्रचलित सरकारी मानदंडों के अनुसार दंड और वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
